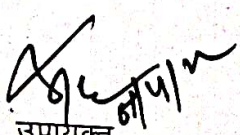
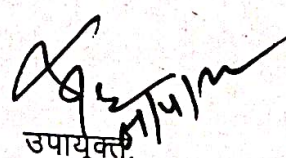


आदेश की कमांक एवं तिथि 1	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश गई 3
01/04/22	उपायुक्त का न्यायालय, साहेबगंज। अधिहरण वाद संख्या-02/2020-21 राज्य सरकार -बनाम- मो0 सहबान --: आदेश :- दिनांक 18.02.2022 को पारित आदेश के अनुपालन में विपक्षी मो0 सहबान अंसारी अपने दो प्रतिभूति एवं बंध-पत्र के साथ उपस्थित। (1). विपक्षी मो0 सहबान अंसारी, पिता-स्व0 मो0 कमरुज्जमा, सा0-बड़ा मदनशाही, थाना-बोरियो (जि0), जिला-साहेबगंज वाहन संख्या JH17Q-1710 की ओर से दो प्रतिभूति एवं बंध-पत्र दाता (i) जीमल अंसारी, पिता-बदरुद्दीन अंसारी, सा0-बड़ा मदनशाही, थाना-बोरियो (जि0), जिला-साहेबगंज Engine No. 391354/HH009318A, swaraj 735FE का ऑनर बुक, बीमा प्रमाण पत्र, (ii) अब्दुस सलाम, पिता-जमालुद्दीन अंसारी, सा0-बड़ा मदनशाही, थाना-बोरियो (जि0), जिला-साहेबगंज Engine No. 6PEUF88424, Model No. BOLENOSLX2WD, Chachise No. MA1PS26PKE5686429 का ऑनर बुक एवं बीमा प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ उपस्थित। राजमहल थाना कांड संख्या 126/2020, दिनांक 23.03.2020 में विपक्षी के जप्त वाहन संख्या JH17Q-1710 को अस्थायी रूप से इस शर्त के साथ मुक्त किया जाता है कि वे न्यायालय द्वारा आदेश किये जाने पर उक्त वाहनको न्यायालय के समक्ष उपलब्ध करायेंगे। प्रतिभूति बंध-पत्र दाता के जिम्मेनामा पर राजमहल थाना कांड संख्या 126/2020, दिनांक 23.03.2020 में झारखण्ड पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जप्त किये गये वाहन संख्या JH17Q-1710 को जप्ती से अस्थायी रूप से मुक्त किया जाता है। यदि न्यायालय के आदेश के पश्चात विपक्षी द्वारा वाहन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कराया जाता है, तो वाहन के लिए दिये गये बंध-पत्र प्रतिभूति वाहन दाता को न्यायालय में आदेशानुसार जमा करना अनिवार्य होगा। आदेश की प्रति थाना प्रभारी, राजमहल को अनुपालन हेतु भेजें। साथ ही उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे उचित पहचान एवं ऑनर बुक पर वाहन संख्या JH17Q-1710 को उचित प्राप्ति रसीद पर हस्ताक्षर कराकर एवं पहचान पर हस्तगत करावेंगे। साथ ही हस्तगत संबंधी प्रतिवेदन न्यायालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अभिलेख दिनांक को रखें। लेखापित एवं संशोधित।  उपायुक्त, साहेबगंज।  उपायुक्त, साहेबगंज।	21/4/22 अंसारी